भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 120
दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

बाल कल्याण और सुरक्षा समितियां

***120 श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:**
श्री वाई.एस. अनिवाश रेड्डी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास मिशन वात्सल्य के अंतर्गत देश में वर्तमान में चल रही ग्राम-स्तरीय बाल कल्याण और सुरक्षा समितियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्राम स्तर पर ''असुरक्षित बच्चों संबंधी मानचित्र'' तैयार करने में कोई प्रगति हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिपालन देखरेख वाले बच्चों सहित असुरक्षित बच्चों को कोई विशिष्ट प्रकार की सहायता/ वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता की प्रभावकारिता की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

'बाल कल्याण और सुरक्षा समितियां' के विषय में श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी और श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 120 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) को कार्यान्वित करने वाला नोडल मंत्रालय है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है। इसमें बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए देखरेख एवं संरक्षण के मानक परिभाषित हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व निर्धारित लागत हिस्सेदारी के आधार पर कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख दोनों शामिल हैं। यह योजना देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को उनके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल करने के लिए सेवाएं प्रदान करती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुलभता, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि में सहायता प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और पश्चात देखरेख (आफ्टर केयर) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 के तहत, बाल कल्याण समितियों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखरेख संस्थानों के कामकाज की निगरानी करने का भी दायित्व सौंपा गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (धारा 109) में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना का प्रावधान है।

मिशन वात्सल्य दिशानिर्देशों के अनुसार, डीसीपीयू को कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए जिले के स्थानीय असुरक्षित बच्चों संबंधी मानचित्र तैयार करने, रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण और निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है।

गैर-संस्थागत देखरेख के तहत, प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और पश्चात् देखरेख के लिए राज्य सरकार को लागत-हिस्सेदारी के आधार पर प्रति बच्चे हेतु 4000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों को राज्य बाल संरक्षण समितियों (एससीपीएस) को प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख कोष के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान देने और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) तथा शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत, प्रत्येक जिले को प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख कोष की

समीक्षा और स्वीकृति हेतु प्रायोजन एवं पालन-पोषण अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) गठित करना अनिवार्य है।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य और स्थानीय सरकारों के नेटवर्क के माध्यम से एक सुदृढ़ प्रणाली की परिकल्पना की गई है, ताकि देश में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों तक पहुंचें, समुदायों से जुड़ें और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में बच्चों की तंदुरुस्ती की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देशों में बाल कल्याण और संरक्षण संबंधी कार्यों को पंचायती राज संस्था/ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय की उन मौजूदा समितियों को सौंपने की परिकल्पना भी की गई है जो सामाजिक न्याय/बच्चों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करती हैं। ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों (वीएलसीपीसी) की सफलतापूर्वक स्थापना करने वाले गांवों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।
